

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 160/2026

1. Sadam S/o Iliyas, Aged About 22 Years, R/o Udaipur Godaran Tehsil Suratgarh District Sri Ganganagar Rajasthan (Presently Lodged At Sub Jail Suratgarh)
2. Sabir S/o Kale Khan, Aged About 23 Years, R/o Udaipur Godaran Tehsil Suratgarh District Sri Ganganagar (Presently Lodged At Sub Jail Suratgarh)
3. Salim S/o Yasin Khan, Aged About 25 Years, R/o Udaipur Godaran Tehsil Suratgarh District Sri Ganganagar (Presently Lodged At Sub Jail Suratgarh)
4. Iqbal S/o Kalu Khan, Aged About 27 Years, R/o Udaipur Godaran Tehsil Suratgarh District Sri Ganganagar (Presently Lodged At Sub Jail Suratgarh)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Kunal Bishnoi
For Respondent(s)	: Mr. Urja Ram Kalbi, PP Mr. Achala Ram

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR
Order

23/03/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना—**रजियासर** जिला **गंगानगर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**356/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 333, 189(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सदाम, सबीर, सलीम व इकबाल को अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 333, 189(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत झूठा संबद्ध

किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के संदर्भ विशिष्ट तौर पर आहत इस्माइल खान के कथन नहीं है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने उसके सिर पर चोट कारित की हो। आहत इस्माइल खान के सिर पर कारित एक चोट प्राणघातक पाई गई है परंतु इस संदर्भ में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आक्षेप नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष के मध्य परस्पर राजीनामा हो गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सदाम, सबीर व सलीम दिनांक 15.12.2025 व इकबाल दिनांक 16.12.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् अधिवक्ता परिवादी द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है तथा यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्त लियाकत के साथ मिलकर आहत इस्माइल के घर में अनधिकृत रूप से प्रविष्ट होते हुए उसके व अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ मारपीट की गई है व इस्माइल खान के सिर पर कारित चोट गंभीर प्रकृति की पाई गई है जिसे चिकित्सक द्वारा प्राणघातक माना गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अन्य गुणावगुण पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व परिवादी पक्ष में मध्य परस्पर राजीनामा होना जाहिर किया गया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों एवं परिस्थितियों, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षात्मक अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. सदाम पुत्र इलियास, 2. सबीर पुत्र काले खान, 3. सलीम पुत्र यासिन खान, 4. इकबाल पुत्र कालू खान की ओर

से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त **सलीम पुत्र यासिन खान** के संदर्भ में निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा किया जावे।

शर्तें:—

प्रार्थी/अभियुक्त **सलीम पुत्र यासिन खान** प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J